



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शनिवार, 30 फाल्गुन, शक संवत्, 1936

(दिनांक : 21 मार्च, 2015)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
2. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
3. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
4. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
5. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“क”)

6. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)
7. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 पारित किया जाय।
8. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)
9. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।
10. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।” (15 मिनट)

11. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।” (15 मिनट)

12. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति “यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये “गंगा विकास प्राधिकरण” की भांति “यमुना विकास प्राधिकरण” का गठन भी किया जाय।” (15 मिनट)

13. श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बना कर क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।” (15 मिनट)

14. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्ध नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ निर्मल बनाये जाने के लिये सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करें।” (15 मिनट)

15. श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के गांवों जिनमें उत्तराखण्डवासियों की जनसंख्या अधिक हो, उत्तराखण्ड में सम्मिलित कर दिये जायें।” (15 मिनट)

16. श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जायें।” (15 मिनट)

17. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।” (15 मिनट)

18. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी:-

“उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।” (15 मिनट)

19. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यों के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।” (15 मिनट)

20. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें।” (15 मिनट)

21. श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एवं गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।” (15 मिनट)

22. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे-छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तों पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दी जाय।” (15 मिनट)

23. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“जनपद देहरादून के पछवाड़ क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।” (15 मिनट)

24. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।” (15 मिनट)

25. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।” (15 मिनट)

26. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखौली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लोगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरस पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।” (15 मिनट)

27. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“उत्तराखण्ड राज्य में “ईको सेंसिटिव जोन” को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाये।” (15 मिनट)

28. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ विभागों की अलग-अलग बी0पी0एल0 सूची के आधार पर दिया जा रहा है। विभागवार अलग-अलग सूची से भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है तथा वास्तविक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो रहे हैं। अतः जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाय तथा सभी विभागों हेतु एक ही सूची मान्य हों।” (15 मिनट)

29. श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी है जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नहीं है, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये है।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में है। ये बस्तियां नदियों के किनारों, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी है।

कुछ नगर निकायों में ऐसे बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नहीं की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।” (15 मिनट)

30. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रहा है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा “जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।” (15 मिनट)

31. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।” (15 मिनट)

32. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

“प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।” (15 मिनट)

33. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

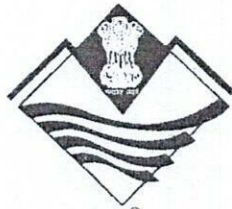
“प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।” (15 मिनट)

34. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
35. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के संबंध में, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
36. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में दिनांक 15 अगस्त, 2014 को आई आपदा से कई ग्रामों में मकान एवं फसलें नष्ट होने के कारण पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में, श्रीमती अमृता रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।
37. जन-गण-मन (देखिए नत्थी "ख")।

देहरादून :
दिनांक : 20 मार्च, 2015

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।



उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी “ख”

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।

भारत-भाग्य-विधाता।।

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य-विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

नत्थी “क”

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 मार्च, 2015 की बैठक में दिनांक 21 मार्च, 2015 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्न लिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

मार्च, 2015

21 शनिवार

विधायी कार्य-

1. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
2. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)